विधान – नियमावली

5. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम एन. आर. मेमोरियल एज्यूकेशन सोसायटी

6. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय एन. आर. मेमोरियल एज्यूकेशन सोसायटी ग्राम नान्दड़ा कलां, विश्नोईयों की ढाणी, प.स. मण्डोर, जोधपुर है तथा संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक सीमित रहेगा।

7. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।
2. विद्यालय, आवासीय विद्यालय का संचालन।
3. कम्प्यूटर शिक्षा के प्रसार हेतु संस्थाओं की स्थापना।
4. शिक्षा सम्बन्धी समस्त राजकीय व गैर राजकीय स्कीम निविदा, व टेण्डरों का संचालन।
5. बच्चों को स्वावलम्बी बनाना तथा जिम्मेदारी एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
6. भारतीय संस्कारों को विकसित करना।
7. विश्व के बदलते आयामों के तहत तैयार करना।
8. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए वाचनालयों, पुस्तकालयों, विद्यालयों व अन्य शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।
9. राष्ट्रीय एकता की भावना की मजबूत करना।
10. बालकों, युवाओं को उच्च तकनीक,कृषि, कम्प्यूटर , वैज्ञानिक और औद्योगिकी शिक्षा के प्रसार एवं बढ़ावें के लिए सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।
11. प्राथमिक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन, तकनीक, शिक्षक प्रशिक्षण व चिकित्सा शिक्षा हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, महाविद्यालय, महाविद्यालयों व संस्थानों की स्थापना व संचालन का कार्य करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे–

(1) संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो।

(2) बालिग हो।

(3) पागल व दिवालिया न हो।

(4) संस्था के हित को सर्वोपरि समझता हो।

(5) भारत का नागरिक हो।

(6) अन्य संस्था का सदस्य न हो।

5. संस्था के सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकेंगे:–

(1) साधारण :

(2) विशिष्ट :

6. सदस्यों द्वारा देय शुल्क / चन्दा : उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा शुल्क / चन्दा देय होगा :–

(1) साधारण सदस्य (1) वार्षिक 500 रू.

(2) विशिष्ट 800 वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त ..... जमा कराई जा सकेगी।

अध्यक्ष

इक०आर० मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी

सचिव

इक०आर० मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी

कोषाध्यक्ष

इक आर० मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा :–

(1) मृत्यु होने पर।

(2) त्याग–पत्र देने पर।

(3) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

(4) कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर।

(5) समय पर सदस्यता शुल्क जमा नहीं करने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु सही समझी जाएगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य : साधारण सभा संस्था की सर्वोत्तम सभा होगी एवं संस्था के सम्पूर्ण अधिकार इसमें नियुक्त होंगे।

(1) कार्यकारिणी का चुनाव करना। चुनाव की अवधि। तीन वर्ष तक

(2) वार्षिक बजट पारित करना।

(3) कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों को समीक्षा करना व पुष्टि करना।

(4)संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

(5) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना।

(6) वार्षिक ऑडिटर आदि की सुरक्षा।

(7) संस्था की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा।

एस० आर० भंभारिया एजूकेशन सोसायटी

(8)समय–समय पर प्रबन्ध समिति की आवश्यक दिशा–निर्देश देना।

10. साधारण सभा की बैठक : (1)साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, सचिव द्वारा सभी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी ।

(2)साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 दो–तिहाई होगा।

(3)बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जाएगी व अत्यावश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(4)कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाएगी, जो पुनः सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

(5)संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने का सचिव अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:–

(1) अध्यक्ष – एक
(2) उपाध्यक्ष – एक
(3) सचिव – एक
(4) कोषाध्यक्ष – एक
(5) सदस्य – बारह।

इस प्रकार कार्य कारिणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य कुल 7 होंगे।

12. कार्यकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी व कर्त्तव्य होंगे।

(1) सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
(2) वार्षिक बजट तैयार करना।
(3) संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
(4) वेतनिक कर्मचारियों नियुक्ति करना तथा उनके वेतन–भत्तों का निर्धारण करना।
(5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय को क्रियान्वित करना।
(6) कार्य व व्यवस्था हेतु उपसमितियां बनाना।
(7) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ ही करना।

13. कार्यकारिणी के बैठके :(1) कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी जो आवश्यकता होने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
(2) बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
(3) बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जा सकेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में भी की जा सकेगी।

अध्यक्ष

(11)

(4) कोरम में अभाव में बैठक स्थगित की जाएगी जो पुनः पूर्व निर्धारित व सूचित दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

14. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे–

(1)अध्यक्ष :

1. बैठकों को अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठक आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्षः

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

पत्थूराम

सचिव
एम०आर० मेमोरियल एज्यूकेशन सोसायटी

मोहनलाल

(3) सचिवः

1. बैठकें अध्यक्ष की आज्ञा से आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।
3. आय–व्यय का नियन्त्रण रखना।
4. वेतनिक कर्मचारियों का नियन्त्रण रखना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र–व्यवहार करना।
7. समिति की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।
8. बैंक के खातों व चैक का संचालन करना।

(4) कोषाध्यक्षः

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्दा, शुल्क, अनुदान आदि प्राप्त करना व रसीद देना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1, चन्दा 2. अनुदान 3. शुल्क
4. सहायता 5. राजकीय अनुदान।

(1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

(2) अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त

17. कोष सम्बन्धी अधिकारी : (1) संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था का एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगेः–

पदमराम
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

1. अध्यक्ष : रू. .....50000.....
2. सचिव : रू. .....50000.....
3. कोषाध्यक्ष : रू. .....25000.....

18. संस्था का अंकेक्षण : समिति के समस्त लेखा–जोखा का वार्षिक अंकेक्षण करा या जाएगा व ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जावेगी।

19. समिति के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्य दो–तिहाई सहमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे–जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाऐं जोधपुर अथवा उसके प्रतिनिधि को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा किए गए सुझावों को पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त विधान (नियमावली) एन. आर. मेमोरियल एज्यूकेशन सोसायटी ग्राम नान्दड़ा कलां, बिश्नोइयों की ढाणी, जोधपुर सोसायटी/संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि हैं।

अध्यक्ष पदमराम

सचिव

कोषाध्यक्ष मोहनलाल